

Indian Polity - Union Legislature

Introduction

- The Union Legislature of India is not only the lawmaking body, but the center of all democratic political process.
- The Parliament is the central legislature and the legislature of the state is known as 'State Legislature.'
- The Parliament of India is bicameral (i.e. consists of two houses) namely Rajya Sabha (the Council of States) and Lok Sabha (the House of the People).

परिचय

- भारत का केंद्रीय विधानमंडल न केवल विधायी निकाय है, बल्कि सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र है।
- संसद केंद्रीय विधायिका है और राज्य की विधायिका कोराज्य विधानमंडल के रूप में जाना जाता है।
- भारत की संसद द्विसदनीय है
 (अर्थात दो सदनों से युक्त) अर्थात
 राज्य सभा (राज्यों की परिषद) और
 लोकसभा (लोक सभा)।



Indian states also have the option to have either bicameral or unicameral; however, at present, there are seven states (shown in the map given below), which have bicameral legislature namely

Jammu & Kashmir,
Uttar Pradesh,
Bihar,
Maharashtra,
Karnataka,

❖ Andhra Pradesh, and
❖ Tolongone

Telangana

भारतीय राज्यों के पास या तो द्विसदनीय या एकमुखी होने का विकल्प है; हालाँकि, वर्तमान में, सात राज्य हैं (नीचे दिए गए नक्शे में दिखाए गए हैं), जिनके द्विसदनीय विधायिका हैं -

जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार.

महाराष्ट्र,
 कर्नाटक

❖ कर्नाटक,
अध्याध्यात्रेष्ठ

आंध्र प्रदेश, और
 तेलंगाना



❖ Rajya Sabha

- The Rajya Sabha is an indirectly elected body and represents the States of India.
- The elected members of State Legislative Assembly elect the members of Rajya Sabha.
- In the U.S.A, every state has equal representation in the Senate irrespective of size and population of the states, but in India, it is not the same.

राज्यसभा

- राज्यसभा एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था है और भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
- राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं।
- U.S.A में, प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या के बावजूद सीनेट में समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन भारत में, यह समान नहीं है।



- In India, states with larger size of population get more representatives than states with smaller population. For example, Uttar Pradesh (the most populated state) sends 31 members to Rajya Sabha; on the other hand, Sikkim (the least populated state) sends only one member to Rajya Sabha.
- > भारत में, जनसंख्या के बड़े आकार वाले राज्यों को छोटी जनसंख्या वाले राज्यों की तलना में अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। उदाहरण के लिए. उत्तर प्रदेश (सबसे अधिक आबादी वाला राज्य) 31 सदस्यों को राज्यसभा भेजता है; दूसरी ओर, सिक्किम (सबसे कम आबादी वाला राज्य) केवल एक सदस्य को राज्यसभा भेजता है।



- The number of members to be elected from each State has been fixed by the fourth schedule of the Constitution.
- Members of the Rajya Sabha are elected for a term of six years and then they can be re-elected.
- Members of Rajya Sabha are elected in such a manner that they do not complete their tenure altogether; rather after every two years, one-third member complete their term and elections are held for those one-third seats only.

- प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा तय की गई है।
- राज्यसभा के सदस्य छह साल के लिए चुने जाते हैं और फिर उन्हें फिर से चुना जा सकता है।
- राज्य सभा के सदस्य इस तरह चुने जाते हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं; बल्कि हर दो साल के बाद, एक-तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और चुनाव केवल एक-तिहाई सीटों के लिए होते हैं।



- Likewise, the Rajya Sabha never gets fully dissolved and hence, it is known as the permanent House of the Parliament.
- Apart from the elected members, the President appoints 12 members from the fields of literature, science, art, and social service.
- इसी तरह, राज्य सभा पूरी तरह से भंग नहीं होती है और इसलिए, इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है।
- निर्वाचित सदस्यों के अलावा, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है।



❖ Lok Sabha

- The members of Lok Sabha and the State Legislative Assemblies are directly elected by the people for the period of five years.
- However, before the completion of tenure, if the Lok Sabha is dissolved (no party forms government with majority), a fresh election will be conducted again

लोकसभा

- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य सीधे पांच साल की अविध के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
- हालाँकि, कार्यकाल पूरा होने से पहले, यदि लोकसभा भंग हो जाती है (बहुमत के साथ कोई पार्टी सरकार नहीं बनाती है), फिर से एक नए चुनाव का आयोजन किया जाएगा



- Functions of the Parliament
- The Parliament has legislative (law making) and financial functions (money bill and budgetary function); besides, it also controls the Executive and ensures its accountability.
- Functions of Parliament
- The Parliament is the highest forum of debate in the country and hence, there is no limitation on its power of discussion.
- The Parliament has the power of discussing and enacting changes to the Constitution (i.e. amendment power).

संसद के कार्य

- संसद में विधायी (कानून बनाने) और वित्तीय कार्य (मनी बिल और बजटीय कार्य) होते हैं; इसके अलावा, यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करता है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- संसद के कार्य
- संसद देश में बहस का सर्वोच्च मंच है और इसलिए, इसकी चर्चा की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है।
- संसद के पास संविधान में परिवर्तन (और संशोधन शक्ति) पर चर्चा और अधिनियमित करने की शक्ति है।



- The Parliament also performs some electoral functions, as it elects the President and the Vice President of India.
- The Parliament has also judicial functions, as it considers and decides the proposals for the removal of President, Vice-President, and Judges of the Supreme Court and High Courts.
- संसद कुछ चुनावी कार्य भी करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है।
- संसद के पास न्यायिक कार्य भी हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्तावों पर विचार और निर्णय करता है।



Following are the some distinct powers of Lok Sabha and Rajya Sabha -

- Lok Sabha makes 'Laws' on matters included in Union List and Concurrent List and can introduce and enact money and non-money bills.
- Rajya Sabha considers and approves non-money bills and suggests amendments to money bills.

लोकसभा और राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित हैं -

- लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर List कानून 'बनाती है और धन और गैर-धन विधेयकों को पेश और अधिनियमित कर सकती है।
- राज्यसभा गैर-धन बिलों पर विचार और अनुमोदन करती है और धन बिलों में संशोधन का सुझाव देती है।



- Lok Sabha approves proposals for taxation, budgets, and annual financial statements.
- Rajya Sabha approves constitutional amendments.
- Lok Sabha establishes committees and commissions and considers their reports.
- Rajya Sabha can give the Union parliament power to make laws on matters included in the State list

- लोकसभा कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देती है।
- राज्यसभा ने संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी दी
- लोकसभा समितियों और आयोगों की स्थापना करती है और उनकी रिपोर्टों पर विचार करती है।
- राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा केंद्रीय संसद को शक्ति दे सकती है



Special Powers of Rajya Sabha

Rajya Sabha has some special powers. If the Union Parliament wishes to remove a matter from the State list (over which only the State Legislature can make law) to either the Union List or Concurrent List in the interest of the nation, the approval of the Rajya Sabha is essential.

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। यदि केंद्रीय संसद राज्य सूची (जिस पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकती है) से किसी मामले को हटाने की इच्छा करती है, तो राष्ट्र के हित में संघ सूची या समवर्ती सूची में राज्य सभा की स्वीकृति आवश्यक है।



Special Powers of Lok Sabha

- Regarding Money Bills, the Lok Sabha has the exclusive power and hence, the Rajya Sabha cannot initiate, reject, or amend money bills.
- Amendment/s made by the Rajya Sabha to the Money Bill may or may not be accepted by the Lok Sabha

लोकसभा की विशेष शक्तियाँ

- मनी बिल के बारे में, लोकसभा के पास विशेष शक्ति है और इसलिए, राज्यसभा मनी बिल की शुरुआत, अस्वीकार या संशोधन नहीं कर सकती है।
- धन विधेयक के लिए राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन / संशोधन लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है



Bills

- A bill proposed by a minister is described as Government Bill; however, if a bill proposed by a non-minister member, it is known as private member's Bill.
- If there is disagreement between the two Houses on a proposed Bill, then it is resolved through the Joint Session of Parliament.
- Regarding the Money Bill, if the Rajya Sabha does not take any action within 14 days, the bill is deemed to have been passed

विधेयकों

- किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक के रूप में वर्णित किया जाता है; हालाँकि, यदि कोई विधेयक किसी गैर-मंत्री सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो उसे निजी सदस्य के विधेयक के रूप में जाना जाता है।
- यदि किसी प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति है, तो इसे संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से हल किया जाता है।
- धन विधेयक के संबंध में, यदि राज्य सभा 14 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो विधेयक पारित माना जाता है